HB PORTFOLIO LIMITED

Regd. Office : Plot No. 31, Echelon Institutional Area, Sector - 32, Gurugram -122001 (Haryana)
Ph.:0124-4675500, Fax:0124-4370985, E-mail:corporate@hbportfolio.com
Website : www.hbportfolio.com, CIN : L67120HR1994PLC034148

24th November, 2025 **Listing Centre**

The Listing Department
BSE Limited,
Pheroze Jeejeebhoy Towers,
Dalal Street, Fort,
Mumbai - 400 001

Scrip Code: 532333

Sub: Newspaper Publication regarding special window for re-lodgement of transfer requests of physical shares

Dear Sir / Madam,

In accordance with SEBI circular no. SEBI/HO/MIRSD/MIRSD-PoD/P/CIR/2025/97 dated 02nd July, 2025 and in continuation to Newspaper Advertisement(s) published by the Company on 24th July, 2025 and 23rd September, 2025, a special window has been opened for re-lodgement of transfer deeds which were lodged prior to the deadline of 01st April, 2019, and rejected/returned/not attended to due to deficiency in the documents/process/or otherwise.

Pursuant to the aforesaid, the Company has published details of opening of the window in the editions of the daily newspapers Business Standard (English & Hindi) on 24th November, 2025. Please find enclosed herewith newspaper clippings of the notice.

The copies of the said advertisements are also available on the website of the Company, **www.hbportfolio.com.**

You are requested to take the above information on record and oblige.

Thanking you,

Yours faithfully,
For **HB Portfolio Limited**

HB PORTFOLIO LTD. GURUGRAM

Meenu Papreja
Company Secretary & Compliance Officer
M. No. F11607

Encl: As Above

Delivery platform liable for shortfall in quantity

CONSUMER PROTECTION

JEHANGIR B GAI

Raja Vikrant Sharma, a law student at Panjab University in Chandigarh, used his mobile app to place an order on Swiggy Instamart on December 30, 2024. He ordered Nestle Classic Milk Chocolate and 1 kg Nagpur oranges, which he intended to carry with him while visiting his maternal aunt. Swiggy levied a handling fee of ₹28.61.

Upon delivery, he found the package containing the oranges to be in a torn condition. He checked the weight and found it to be only 824 grams instead of 1 kilogram. He was not provided any bill for the items purchased.

He immediately raised a concern with Swiggy. However, no refund was given for the shortfall in quantity. Calls to customer care failed to resolve the grievance. An exasperated Sharma then filed a consumer complaint before the Chandigarh District Consumer Disputes Redressal Commission (district commission). He pointed out that Swiggy failure to resolve his concern caused him considerable mental anguish.

Swiggy contested the case, contending that its app merely provided an electronic platform for facilitating transactions between customers and independent third-party merchants and restaurants that list and sell food, beverages and grocery items. Swiggy claimed that it was merely an intermediary and had no role in assessing the quality or quantity of any product sold on its platform, and hence it could not be held liable. Swiggy also pointed out that a disclaimer to this effect was incorporated in the terms and conditions on its app and website. It argued that this constituted a binding agreement that absolved it of any liability for any product or service provided through its platform.

Sharma argued his own case in person. The district commission noted that the complaint concerned the torn package and the shortfall in the quantity of oranges. It relied on the transcript of Sharma's chat with Swiggy customer care, which indicated that the grievance was genuine but had not been resolved.

The commission observed that the invoice established that the products had been sold by Swiggy Instamart as an ecommerce entity. It considered the provisions of Section 4(10) of the Consumer Protection (E-Commerce) Rules, 2020, which cast an obligation on the e-commerce service provider to provide a replacement or refund in case of any deficiency in its service.

> SECTION 4(10) OF THE CONSUMER PROTECTION (ECOMMERCE) RULES, 2020, CASTS AN OBLIGATION ON THE E-COMMERCE SERVICE PROVIDER TO PROVIDE A REPLACEMENT OR REFUND IN CASE OF DEFICIENCY IN SERVICE

The commission, therefore, concluded that the company was liable for the deficiency in respect of the ordered quantity of oranges and for failing to refund the amount for the short delivery.

Accordingly, in its order of November 3, 2025, delivered by presiding officer Pawanjit Singh for the Bench along with member S K Sardana, the commission ordered Swiggy to pay ₹2,000 towards compensation. A period of 45 days was given for compliance, and any delay would attract 12 per cent interest.

The writer is a consumer activist

TERRORISM COVERAGE

Check policy wording, seek written confirmation from insurer

Coverage varies across insurers and products, may require a rider, and could come with loadings

HIMALI PATEL

The recent blast near the Red Fort in Delhi has highlighted the need for insurance buyers to understand whether their term, health, and home insurance policies cover terrorism risk. Buyers should not take coverage for granted and instead verify policy wording.

Term insurance

Most term policies cover death due to terrorism. "Exclusions apply only in exceptional cases, such as death occurring due to active participation in war, rebellion, extremist activity, or illegal acts — not for innocent civilians caught in an attack," says Bhavna Verma, chief and appointed actuary, IndiaFirst Life Insurance.

Pradeep Funde, senior vice-president, Anand Rathi Insurance Broking, informs that some older plans excluded terrorism. Most term policies cover it in the base policy (no rider required). The policy must be active (with premiums paid) at the time of the incident.

During purchase, the buyer must disclose if they are in a high-risk job. "Certain high-risk professions or postings — combat roles, hazardous occupations — require declaration so risk can be assessed properly," says Shilpa Arora, cofounder and chief operating officer, Insurance Samadhan. Lack of disclosure could lead to problems at claim time. Verma informs that these in high-risk professions, such as military personnel, security contractors, divers, pilots, miners and oil-rig workers may be excluded or charged extra.

Coverage may be rejected or premiums increased for those working in high-risk areas. Those travelling to war zones, conflict areas, or sanctioned regions may also face higher premiums.

Understand the policy wording. "Broad exclusions like war or invasion may or may not include terrorism," says Funde.

If a policy excludes war or invasion but is unclear about terrorism, verify before purchasing. "Check definitions and general exclusions to see if terrorism is treated separately," says Verma. Seek written confirmation from the insurer. If ambiguity persists, Verma advises going for a policy where terrorism coverage is clearly stated.

Funde urges buyers to review their policies after major life changes or relocations. Arora informs that group term insurance may exclude terrorism coverage, depending on the master policy agreement.

Health insurance

Hospitalisation expenses resulting from terror attacks may be covered on an indemnity basis, subject to policy terms and conditions outlined in policy documents. Coverage differs across insurers and products. "Review the policy for exclusions related to specific incidents or locations," says Alok Agarwal, managing director and chief executive officer, Zurich Kotak General Insurance. Even those living in or travelling to high-risk zones must check clauses related to territorial limits and professional hazards.

Understand the definitions of the terms used in the exclusion list. "Reviewing terms such as war, invasion, acts of foreign enemies or hostilities, which often appear in industry exclusion lists, can help avoid surprises at the time of claim," says Agarwal.

"Individuals working in high-risk zones should ask the insurer whether their specific location is on their exclusion list, whether the policy covers terrorism where they could be an innocent bystander, and confirm whether their occupation triggers exclusion," says Abhishek Kumar, Securities and Exchange Board of India (Sebi)-registered investment advisor and founder, SahajMoney.com. Obtain written confirmation from the insurer stating that coverage applies to their specific location and profession.

"When reviewing policy documents, search for any mention of terrorism, war, invasion, civil commotion, riots or hostile acts and check whether terrorism is listed under exclusions," says Kumar.

Never assume terrorism is covered just because there is no specific terrorism exclusion clause. "Ask the insurer for clarity on terrorism cover under their policy and request written confirmation of inclusion or exclusion," says Kumar.

Look for geographic restrictions that specifically name high-risk countries or conflict zones. Finally, identify professional or occupational exclusions that might apply to you.

Key checks to run

- Does the main policy cover victims of terror?
- Or does one have to purchase a rider?
- Are terror incidents covered for those in high-risk professions?
- Do those living in high-risk regions get coverage?
- Does coverage for high-risk professions or regions come with loading?

> "HOSPITALISATION EXPENSES RESULTING FROM TERRORIST ATTACKS MAY BE COVERED ON AN INDEMNITY BASIS, DEPENDING ON THE PRODUCT, AND SUBJECT TO POLICY TERMS AND CONDITIONS OUTLINED IN THE POLICY DOCUMENTS"
>
> Alok Agarwal, MD & CEO, Zurich Kotak General Insurance

Home insurance

Most retail home insurance policies do not automatically include terrorism cover unless the insured opts for a terrorism add-on. Some comprehensive packages may provide terrorism cover. Wording varies across insurers.

"For retail customers, terrorism is usually provided through a rider to home insurance. Premiums are modest," says Narendra Bharindwal, president, Insurance Brokers Association of India (IBAI).

Coverage does not apply to general unrest. Damage must be caused directly by the terror event. Sub-limits or deductibles may apply. "Losses due to contamination, biological, chemical, or nuclear attacks are typically excluded unless explicitly covered," says Bharindwal.

Insurers may exclude high-risk zones like border districts, Naxal-affected areas, and high-conflict regions. Certain professional categories, such as defence establishments or hazardous industries, may require underwriting approval.

Buyers should seek written confirmation if the wording regarding terrorism appears ambiguous. "If a policy merely lists war or invasion as exclusions without mentioning terrorism, it is safer to assume that terrorism is not covered unless explicitly stated," says Bharindwal.

Finally, do buy terrorism cover as the cost of adding it is small: ₹0.07 per thousand sum insured for dwellings.

The writer is a Mumbai-based independent journalist

HB LEASING AND FINANCE COMPANY LIMITED
CIN: L65910HR1982PLC034071
Registered Office : Plot No. 31, Echelon Institutional Area, Sector 32, Gurugram-122001, Haryana
Ph. : + 91-124-4675500, **Fax No.** : + 91-124-4370985
E-mail : corporate@hbleasing.com, **Website** : www.hbleasing.com

SPECIAL WINDOW FOR RE-LODGEMENT OF TRANSFER REQUESTS OF PHYSICAL SHARES

In accordance with SEBI Circular no. SEBI/HO/MIRSD-PoD/P/CIR/2025/97 dated July 02, 2025, shareholders of **HB Leasing and Finance Company Limited** are hereby informed that a special window has been opened from July 07, 2025 to January 06, 2026, for re-lodgement of transfer deeds.

Shareholders are to note that this window is only for re-lodgement of transfer deeds, which were lodged prior to the deadline of April 01, 2019 for transfer of physical shares, and rejected/returned/not attended to due to deficiency in the documents/process/or otherwise.

Since the transferred shares will be issued only in demat mode once all the documents are found in order by the Company / RTA, the transferee(s) must have a demat account and need to provide a copy of its Client Master List (CML), along with the requisite documents, while lodging the documents for transfer with the Company/RTA.

Shareholders who have missed the earlier extended deadline of March 31, 2021 [the cut-off date for re-lodgement of transfer deeds] can avail this opportunity by furnishing the necessary documents to the Registrar and Share Transfer Agent of the Company i.e, RCMC Share Registry Private Limited at investor.services@rcmcdelhi.com or their office address at B-25/1, First Floor, Okhla Industrial Area Phase 2, New Delhi, India, 110020, Tel: 011-35020465,66.

The Company's website, www.hbleasing.com, has been updated with the details regarding the opening of this special window and further updates if any, shall be uploaded therein.

For **HB Leasing & Finance Company Limited**
Sd/-
Shahbaz Khan
(Company Secretary)
Membership No. A75337

Date : November 22, 2025
Place : Gurugram

HB ESTATE DEVELOPERS LIMITED
CIN: L99999HR1994PLC034146
Registered Office : Plot No. 31, Echelon Institutional Area, Sector 32, Gurugram-122001, Haryana
Ph. : + 91-124-4675500, **Fax No.** : + 91-124-4370985
E-mail : corporate@hbestate.com, **Website** : www.hbestate.com

SPECIAL WINDOW FOR RE-LODGEMENT OF TRANSFER REQUESTS OF PHYSICAL SHARES

In accordance with SEBI Circular no. SEBI/HO/MIRSD-PoD/P/CIR/2025/97 dated July 02, 2025, shareholders of **HB Estate Developers Limited** are hereby informed that a special window has been opened from July 07, 2025 to January 06, 2026, for re-lodgement of transfer deeds.

Shareholders are to note that this window is only for re-lodgement of transfer deeds, which were lodged prior to the deadline of April 01, 2019 for transfer of physical shares, and rejected/returned/not attended to due to deficiency in the documents/process/or otherwise.

Since the transferred shares will be issued only in demat mode once all the documents are found in order by the Company / RTA, the transferee(s) must have a demat account and need to provide a copy of its Client Master List (CML), along with the requisite documents, while lodging the documents for transfer with the Company/RTA.

Shareholders who have missed the earlier extended deadline of March 31, 2021 [the cut-off date for re-lodgement of transfer deeds] can avail this opportunity by furnishing the necessary documents to the Registrar and Share Transfer Agent of the Company i.e, RCMC Share Registry Private Limited at investor.services@rcmcdelhi.com or their office address at B-25/1, First Floor, Okhla Industrial Area Phase 2, New Delhi, India, 110020, Tel: 011-35020465,66.

The Company's website, www.hbestate.com, has been updated with the details regarding the opening of this special window and further updates if any, shall be uploaded therein.

For **HB Estate Developers Limited**
Sd/-
NVK Rao
Company Secretary and Compliance Officer

Date : November 22, 2025
Place : Gurugram

HB PORTFOLIO LIMITED
CIN : L67120HR1994PLC034148
Registered Office : Plot No. 31, Echelon Institutional Area, Sector 32, Gurugram-122001, Haryana
Phone : + 91-124-4675500, **Fax** : + 91-124-4370985
E-mail : corporate@hbportfolio.com, **Website** : www.hbportfolio.com

SPECIAL WINDOW FOR RE-LODGEMENT OF TRANSFER REQUESTS OF PHYSICAL SHARES

In accordance with SEBI Circular no. SEBI/HO/MIRSD-PoD/P/CIR/2025/97 dated July 02, 2025, shareholders of **HB Portfolio Limited** are hereby informed that a special window has been opened from July 07, 2025 to January 06, 2026, for re-lodgement of transfer deeds.

Shareholders are to note that this window is only for re-lodgement of transfer deeds, which were lodged prior to the deadline of April 01, 2019 for transfer of physical shares, and rejected/returned/not attended to due to deficiency in the documents/process/or otherwise.

Since the transferred shares will be issued only in demat mode once all the documents are found in order by the Company / RTA, the transferee(s) must have a demat account and need to provide a copy of its Client Master List (CML), along with the requisite documents, while lodging the documents for transfer with the Company/RTA.

Shareholders who have missed the earlier extended deadline of March 31, 2021 [the cut-off date for re-lodgement of transfer deeds] can avail this opportunity by furnishing the necessary documents to the Registrar and Share Transfer Agent of the Company i.e, RCMC Share Registry Private Limited at investor.services@rcmcdelhi.com or their office address at B-25/1, First Floor, Okhla Industrial Area Phase 2, New Delhi, India, 110020, Tel: 011-35020465,66.

The Company's website, www.hbportfolio.com, has been updated with the details regarding the opening of this special window and further updates if any, shall be uploaded therein.

For **HB Portfolio Limited**
Sd/-
Meenu Papreja
Company Secretary and Compliance Officer

Date : November 22, 2025
Place : Gurugram

HB STOCKHOLDINGS LIMITED
CIN: L65929HR1985PLC033936
Registered Office : Plot No. 31, Echelon Institutional Area, Sector 32, Gurugram-122001, Haryana
Ph. : + 91-124-4675500, **Fax No.** : + 91-124-4370985
E-mail : corporate@hbstockholdings.com, **Website** : www.hbstockholdings.com

SPECIAL WINDOW FOR RE-LODGEMENT OF TRANSFER REQUESTS OF PHYSICAL SHARES

In accordance with SEBI Circular no. SEBI/HO/MIRSD-PoD/P/CIR/2025/97 dated July 02, 2025, shareholders of **HB Stockholdings Limited** are hereby informed that a special window has been opened from July 07, 2025 to January 06, 2026, for re-lodgement of transfer deeds.

Shareholders are to note that this window is only for re-lodgement of transfer deeds, which were lodged prior to the deadline of April 01, 2019 for transfer of physical shares, and rejected/returned/not attended to due to deficiency in the documents/process/or otherwise.

Since the transferred shares will be issued only in demat mode once all the documents are found in order by the Company / RTA, the transferee(s) must have a demat account and need to provide a copy of its Client Master List (CML), along with the requisite documents, while lodging the documents for transfer with the Company/RTA.

Shareholders who have missed the earlier extended deadline of March 31, 2021 [the cut-off date for re-lodgement of transfer deeds] can avail this opportunity by furnishing the necessary documents to the Registrar and Share Transfer Agent of the Company i.e, RCMC Share Registry Private Limited at investor.services@rcmcdelhi.com or their office address at B-25/1, First Floor, Okhla Industrial Area Phase 2, New Delhi, India, 110020, Tel: 011-35020465,66.

The Company's website, www.hbstockholdings.com, has been updated with the details regarding the opening of this special window and further updates if any, shall be uploaded therein.

For **HB Stockholdings Limited**
Sd/-
Pooja Jain
Company Secretary and Compliance Officer

Date : November 22, 2025
Place : Gurugram

When industry giants speak, everyone listens.

In-depth **Q&As** with market mavens — *every Monday* in Business Standard.

To book your copy, SMS **reachbs** to **57575** or email **order@bsmail.in**

Business Standard
Insight Out

SUNDARAM MUTUAL — Sundaram Finance Group —

Notice – cum – Addendum to the Scheme Information Document / Key information Memorandum / Statement of Additional Information of schemes of Sundaram Mutual.

Investors are hereby informed that Sundaram Trustee Company Limited, the Trustee to Sundaram Mutual Fund has decided to Introduce IDCW Reinvestment & Transfer Option in Sundaram Value Fund scheme of Sundaram Mutual with effect from 01/12/2025.

Particulars	Existing Options	Proposed Options
Introduction of IDCW Reinvestment & Transfer Option	• Growth • IDCW Sub Option: Payout If the investor does not choose Option or Sub-Option at the time of submitting the application form, the following defaults shall be applicable: **Option/Sub-option** — **Default option/ Sub-Option** Option: Not mentioned; Sub-option: Not mentioned — Option: Growth; Sub-option: Not Applicable Option: IDCW; Sub-option: Not mentioned — Option: IDCW; Sub-option: Payout All plans and options available for offer under the scheme shall have a common portfolio for detailed disclosure on default plans and options, kindly refer SAI.	• Growth • IDCW Sub Option: Payout, **Reinvestment & Transfer** If the investor does not choose Option or Sub-Option at the time of submitting the application form, the following defaults shall be applicable: If no option is indicated, the default option will be Growth. If an investor chooses the IDCW Option but fails to indicate a sub option, the default sub-option shall be • IDCW Transfer (Default destination Scheme-Sundaram Liquid Fund -Growth Option), when the IDCW payable is Rs. 500 or more • IDCW Reinvestment in the same scheme when IDCW payable is less than Rs.500. In case of IDCW payout, where the IDCW payable is Rs.500/- or more, the IDCW will be paid to the Investor registered Bank account in the folio and will be reinvested when the IDCW payable is less than Rs.500/-. If an investor has opted for IDCW payout and is found to be KYC non-compliant or without a valid PAN, the IDCW amount will be automatically swept into the Sundaram Unclaimed Fund.

In view of the above, relevant changes will be carried out in the SID and KIM of the abovementioned Scheme.
All other terms and conditions of the Scheme Information Document(s) / Key Information Memorandum(s) / Statement of Additional Information will remain unchanged.
This addendum forms an integral part of the Scheme Information Document (SID) / Key Information Memorandum (KIM) / Statement of Additional Information (SAI) of the schemes of Sundaram Mutual Fund as amended from time to time.

For **Sundaram Asset Management Company Ltd**
R Ajith Kumar
Company Secretary & Compliance Officer

Place: Chennai
Date: November 24, 2025.

For more information please contact:
Sundaram Asset Management Company Ltd
(Investment Manager to Sundaram Mutual Fund)
CIN: U93090TN1996PLC034615

Corporate Office: 1st & 2nd Floor, Sundaram Towers, 46, Whites Road, Royapettah, Chennai-14. Contact No. (India) 1860 425 7237, (NRI) +91 40 2345 2215 www.sundarammutual.com
Regd. Office: No. 21, Patullos Road, Chennai 600 002.

Mutual Fund Investments are subject to market risks, read all scheme related documents carefully.

Navigate markets with focused insight.

Get daily sector trends, market movers, and sharp insights — *every day* with **The Compass** in Business Standard.

To book your copy, SMS **reachbs** to **57575** or email **order@bsmail.in**

Business Standard
Insight Out

एचबी लीजिंग ऐण्ड फायनैंस कम्पनी लिमिटेड

CIN: L65910HR1982PLC034071
पंजी. कार्यालय : प्लॉट नं. 31, एशलॉन इंस्टिट्यूशनल एरिया, सैक्टर–32, गुरूग्राम–122001, हरियाणा
फोन : +91-124-4675500, **फैक्स नं. :** +91-124-4370985
ई-मेल : corporate@hbleasing.com, **वेबसाइट :** www.hbleasing.com

भौतिक शेयरों के हस्तांतरण अनुरोधों को पुनः प्रस्तुत करने के लिए विशेष विंडो

सेबी परिपत्र संख्या सेबी/एचओ/एमआईआरएसडी–पीओडी/पी/सीआईआर/2025/97 दिनांकित 02 जुलाई, 2025 के अनुसार, **एचबी लीजिंग ऐण्ड फाइनैंस कम्पनी लिमिटेड** के शेयरधारकों को सूचित किया जाता है कि हस्तांतरण विलेख पुनः प्रस्तुत करने के लिए 07 जुलाई, 2025 से 06 जनवरी, 2026 तक एक विशेष विंडो खोली गई है।

शेयरधारक नोट करें कि यह विंडो केवल उन हस्तांतरण विलेखों को पुनः प्रस्तुत करने के लिए है, जो भौतिक शेयरों के हस्तांतरण के लिए 01 अप्रैल, 2019 की समय सीमा से पहले प्रस्तुत किए गए थे, और दस्तावेजों/प्रक्रिया/ में अथवा अन्य कमी के कारण अस्वीकृत/वापस कर दिए गए थे/उन पर ध्यान नहीं दिया गया।

चूंकि हस्तांतरित शेयर कम्पनी/आरटीए द्वारा सभी दस्तावेज़ सही पाए जाने के बाद ही केवल डीमैट मोड में जारी किए जाएंगे, इसलिए हस्तांतरिती के पास एक डीमैट खाता होना चाहिए और कम्पनी/आरटीए के पास स्थानांतरण के लिए दस्तावेज जमा करते समय आवश्यक दस्तावेजों के साथ अपनी क्लाइंट मास्टर सूची (सीएमएल) की एक प्रति उपलब्ध करानी होगी।

जो शेयरधारक 31 मार्च, 2021 (हस्तांतरण विलेख पुनः जमा करने की कट–ऑफ तिथि) की पूर्व विस्तारित समय सीमा से चूक गए हैं, वे कम्पनी के रजिस्ट्रार एवं शेयर ट्रांसफर एजेंट नामतः आरसीएमसी शेयर रजिस्ट्री प्राइवेट लिमिटेड को investor.services@rcmcdelhi.com पर या उनके कार्यालय पते, बी–25/1, प्रथम तल, ओखला औद्योगिक क्षेत्र फेज 2, नई दिल्ली, भारत, 110020, फोन : 011–35020465,66 पर आवश्यक दस्तावेज प्रस्तुत करके इस अवसर का लाभ उठा सकते हैं।

इस विशेष विंडो के खुलने से संबंधित विवरण कम्पनी की वेबसाइट www.hbleasing.com पर अपडेट कर दिए गए हैं और यदि कोई और नई जानकारी होगी, तो उसमें अपलोड कर दी जाएगी।

कृते **एचबी लीजिंग ऐण्ड फायनैंस कम्पनी लिमिटेड**
हस्ता./-
शाहबाज खान
(कम्पनी सचिव)
Membership No. A75337

तिथि : नवम्बर 22, 2025
स्थान : गुरूग्राम

एचबी स्टॉकहोल्डिंग्स लिमिटेड

CIN: L65929HR1985PLC033936
पंजी. कार्यालय : प्लॉट नं. 31, एशलॉन इंस्टिट्यूशनल एरिया, सैक्टर–32, गुरूग्राम–122001, हरियाणा
फोन : +91-124-4675500, **फैक्स नं. :** +91-124-4370985
ई.मेल : corporate@hbstockholdings.com, **वेबसाइट :** www.hbstockholdings.com

भौतिक शेयरों के हस्तांतरण अनुरोधों को पुनः प्रस्तुत करने के लिए विशेष विंडो

सेबी परिपत्र संख्या सेबी/एचओ/एमआईआरएसडी–पीओडी/पी/सीआईआर/2025/97 दिनांकित 02 जुलाई, 2025 के अनुसार, **एचबी स्टॉकहोल्डिंग्स लिमिटेड** के शेयरधारकों को सूचित किया जाता है कि हस्तांतरण विलेख पुनः प्रस्तुत करने के लिए 07 जुलाई, 2025 से 06 जनवरी, 2026 तक एक विशेष विंडो खोली गई है।

शेयरधारक नोट करें कि यह विंडो केवल उन हस्तांतरण विलेखों को पुनः प्रस्तुत करने के लिए है, जो भौतिक शेयरों के हस्तांतरण के लिए 01 अप्रैल, 2019 की समय सीमा से पहले प्रस्तुत किए गए थे, और दस्तावेजों/प्रक्रिया/ में अथ्वा अन्य कमी के कारण अस्वीकृत/वापस कर दिए गए थे/उन पर ध्यान नहीं दिया गया।

चूंकि हस्तांतरित शेयर कम्पनी/आरटीए द्वारा सभी दस्तावेज़ सही पाए जाने के बाद ही केवल डीमैट मोड में जारी किए जाएंगे, इसलिए हस्तांतरिती के पास एक डीमैट खाता होना चाहिए और कम्पनी/आरटीए के पास स्थानांतरण के लिए दस्तावेज जमा करते समय आवश्यक दस्तावेजों के साथ अपनी क्लाइंट मास्टर सूची (सीएमएल) की एक प्रति उपलब्ध करानी होगी।

जो शेयरधारक 31 मार्च, 2021 (हस्तांतरण विलेख पुनः जमा करने की कट–ऑफ तिथि) की पूर्व विस्तारित समय सीमा से चूक गए हैं, वे कम्पनी के रजिस्ट्रार एवं शेयर ट्रांसफर एजेंट नामतः आरसीएमसी शेयर रजिस्ट्री प्राइवेट लिमिटेड को investor.services@rcmcdelhi.com पर या उनके कार्यालय पते, बी–25/1, प्रथम तल, ओखला औद्योगिक क्षेत्र फेज 2, नई दिल्ली, भारत, 110020, फोन : 011–35020465,66 पर आवश्यक दस्तावेज प्रस्तुत करके इस अवसर का लाभ उठा सकते हैं।

इस विशेष विंडो के खुलने से संबंधित विवरण कम्पनी की वेबसाइट www.hbstockholdings.com पर अपडेट कर दिए गए हैं और यदि कोई और नई जानकारी होगी, तो उसमें अपलोड कर दी जाएगी।

कृते **एचबी स्टॉकहोल्डिंग्स लिमिटेड**
हस्ता./-
पूजा जैन
(कम्पनी सचिव एवं अनुपालन अधिकारी)

तिथि : नवम्बर 22, 2025
स्थान : गुरूग्राम

एचबी एस्टेट डवलपर्स लिमिटेड

CIN: L99999HR1994PLC034146
पंजी. कार्यालय : प्लॉट नं. 31, एशलॉन इंस्टिट्यूशनल एरिया, सैक्टर–32, गुरूग्राम–122001, हरियाणा
फोन : +91-124-4675500, **फैक्स नं. :** +91-124-4370985
ई-मेल : corporate@hbestate.com, **वेबसाइट :** www.hbestate.com

भौतिक शेयरों के हस्तांतरण अनुरोधों को पुनः प्रस्तुत करने के लिए विशेष विंडो

सेबी परिपत्र संख्या सेबी/एचओ/एमआईआरएसडी–पीओडी/पी/सीआईआर/2025/97 दिनांकित 02 जुलाई, 2025 के अनुसार, **एचबी एस्टेट डेवलपर्स लिमिटेड** के शेयरधारकों को सूचित किया जाता है कि हस्तांतरण विलेख पुनः प्रस्तुत करने के लिए 07 जुलाई, 2025 से 06 जनवरी, 2026 तक एक विशेष विंडो खोली गई है।

शेयरधारक नोट करें कि यह विंडो केवल उन हस्तांतरण विलेखों को पुनः प्रस्तुत करने के लिए है, जो भौतिक शेयरों के हस्तांतरण के लिए 01 अप्रैल, 2019 की समय सीमा से पहले प्रस्तुत किए गए थे, और दस्तावेजों/प्रक्रिया/ में अथ्वा अन्य कमी के कारण अस्वीकृत/वापस कर दिए गए थे/उन पर ध्यान नहीं दिया गया।

चूंकि हस्तांतरित शेयर कम्पनी/आरटीए द्वारा सभी दस्तावेज़ सही पाए जाने के बाद ही केवल डीमैट मोड में जारी किए जाएंगे, इसलिए हस्तांतरिती के पास एक डीमैट खाता होना चाहिए और कम्पनी/आरटीए के पास स्थानांतरण के लिए दस्तावेज जमा करते समय आवश्यक दस्तावेजों के साथ अपनी क्लाइंट मास्टर सूची (सीएमएल) की एक प्रति उपलब्ध करानी होगी।

जो शेयरधारक 31 मार्च, 2021 (हस्तांतरण विलेख पुनः जमा करने की कट–ऑफ तिथि) की पूर्व विस्तारित समय सीमा से चूक गए हैं, वे कम्पनी के रजिस्ट्रार एवं शेयर ट्रांसफर एजेंट नामतः आरसीएमसी शेयर रजिस्ट्री प्राइवेट लिमिटेड को investor.services@rcmcdelhi.com पर या उनके कार्यालय पते, बी–25/1, प्रथम तल, ओखला औद्योगिक क्षेत्र फेज 2, नई दिल्ली, भारत, 110020, फोन : 011–35020465,66 पर आवश्यक दस्तावेज प्रस्तुत करके इस अवसर का लाभ उठा सकते हैं।

इस विशेष विंडो के खुलने से संबंधित विवरण कम्पनी की वेबसाइट www.hbestate.com पर अपडेट कर दिए गए हैं और यदि कोई और नई जानकारी होगी, तो उसमें अपलोड कर दी जाएगी।

कृते **एचबी एस्टेट डवलपर्स लिमिटेड**
हस्ता./-
एनवीके राव
(कम्पनी सचिव एवं अनुपालन अधिकारी)

तिथि : नवम्बर 22, 2025
स्थान : गुरूग्राम

सीएफएम एसेट रीकंस्ट्रक्शन प्राइवेट लिमिटेड

CFM ARC thoughtful regeneration — CIN: U67100GJ2015PTC083994
पहली मंजिल, वेकफील्ड हाउस, स्प्रोट रोड, बैलार्ड एस्टेट, मुंबई -400038 ईमेलः ram-jaluka@cfmarc-in संपर्कः 022-40055282/8976862752

कब्जे की सूचना

"फिनोवा कैपिटल प्राइवेट लिमिटेड ने 21 मार्च 2025 के असाइनमेंट डीड के जरिए सीएफएम एसेट रिकंस्ट्रक्शन प्राइवेट लिमिटेड के पक्ष में ऋण सौंप दिया है। चूंकि, नीचे हस्ताक्षरकर्ता सीएफएम एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी (सीएफएम एआरसी) के प्राधिकृत अधिकारी होने के नाते, वित्तीय आस्तियों के प्रतिभूतिकरण और पुनर्निर्माण तथा प्रतिभूति हित प्रवर्तन अधिनियम 2002 के तहत तथा प्रतिभूति हित (प्रवर्तन) नियम 2002 के नियम 3 के साथ धारा 13(12) के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, नीचे उल्लिखित उधारकर्ता/ सह-उधारकर्ताओं/ बंधककर्ताओं/गारण्टर को देय राशि चुकाने के लिए एक मांग नोटिस जारी किया है। उधारकर्ता और आम जनता को यह सूचना दी जाती है कि नीचे हस्ताक्षरकर्ता ने उक्त नियमों की धारा 13(4) के तहत उसे प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए नीचे वर्णित संपत्ति का कब्जा ले लिया है। उधारकर्ता और व्यक्तिगत गारंटर विशेष रूप से और आम जनता को इस संपत्ति से कोई लेन-देन न करने की चेतावनी दी जाती है और संपत्ति के साथ कोई भी लेन-देन सीएफएमएआरसी द्वारा नीचे उल्लिखित राशि के साथ-साथ उस पर अतिरिक्त ब्याज और लागत, शुल्क और व्यय आदि (मांग नोटिस जारी होने के बाद से भुगतान की गई राशि को घटाकर, यदि कोई हो) के अधीन होगा। उधारकर्ता और व्यक्तिगत गारंटर का ध्यान अधिनियम की धारा 13 की उप-धारा (8) के प्रावधानों की ओर आकर्षित किया जाता है, जो सुरक्षित आस्तियों को भुनाने के लिए उपलब्ध समय के संबंध में है। LAN नंबर उधारकर्ता / सह-उधारकर्ता/ बंधककर्ता /गारंटर मांग नोटिस की तिथि और राशि बंधक संपत्ति के कब्जे का विवरण।

ऋणी/सह-ऋणी एवं गारण्टर का नाम एवं पता	मांग नोटिस की तिथि और राशि	कब्जे की तिथि	बंधक सम्पत्ति का विवरण
(ऋण खाता संख्या) 6018098, जमालुद्दीन (ऋणी), साहीदान (सहऋणी/ बंधककर्ता)	27.05.2025 Rs. 4,01,661/- चार लाख एक हजार छः सौ इकसठ रूपये मात्र 31.03.2025 तक	19-नवम्बर-25	रिहायशी/व्यावसायिक संपत्ति भूमि/बिल्डिंग/स्ट्रक्चर एवं फिक्सर के सभी अभिन्न अंग स्थित खसरा नं. 92 कुल 25/2549 , 127 का भाग कनाल 09 मारला स्थित ग्राम खोरी जमालपुर, उप तहसील धोज, जिला फरीदाबाद, हरियाणा, 121004, क्षेत्रफल 1360 वर्गफीट, पूर्वः रोड, पश्चिमः रोड, उत्तरः जुम्मा कीसंपत्ति, दक्षिणः जुम्मा की संपत्ति

दिनांकः 22.11.2025
स्थानः फरीदाबाद, हरियाणा

प्राधिकृत अधिकारी
सीएफएम एसेट रिकंस्ट्रक्शन प्राइवेट लिमिटेड
[सीएफएमएआरसी ट्रस्ट – 159 के ट्रस्टी के रूप में कार्यरत]

एचबी पोर्टफोलियो लिमिटेड

CIN : L67120HR1994PLC034148
पंजी. कार्यालय : प्लॉट नं. 31, एशलॉन इंस्टिट्यूशनल एरिया, सैक्टर–32, गुरूग्राम–122001, हरियाणा
फोन : +91-124-4675500, **फैक्स :** +91-124-4370985
ई-मेल : corporate@hbportfolio.com, **वेबसाइट :** www.hbportfolio.com

भौतिक शेयरों के हस्तांतरण अनुरोधों को पुनः प्रस्तुत करने के लिए विशेष विंडो

सेबी परिपत्र संख्या सेबी/एचओ/एमआईआरएसडी–पीओडी/पी/सीआईआर/2025/97 दिनांकित 02 जुलाई, 2025 के अनुसार, **एचबी पोर्टफोलियो लिमिटेड** के शेयरधारकों को सूचित किया जाता है कि हस्तांतरण विलेख पुनः प्रस्तुत करने के लिए 07 जुलाई, 2025 से 06 जनवरी, 2026 तक एक विशेष विंडो खोली गई है।

शेयरधारक नोट करें कि यह विंडो केवल उन हस्तांतरण विलेखों को पुनः प्रस्तुत करने के लिए है, जो भौतिक शेयरों के हस्तांतरण के लिए 01 अप्रैल, 2019 की समय सीमा से पहले प्रस्तुत किए गए थे और दस्तावेजों/प्रक्रिया/ में अथवा अन्य कमी के कारण अस्वीकृत/वापस कर दिए गए थे/उन पर ध्यान नहीं दिया गया था।

चूंकि हस्तांतरित शेयर कम्पनी/आरटीए द्वारा सभी दस्तावेज सही पाए जाने के बाद केवल डीमैट मोड में जारी किए जाएंगे, इसलिए हस्तांतरिती के पास एक डीमैट खाता होना चाहिए और कम्पनी/आरटीए के पास स्थानांतरण के लिए दस्तावेज जमा करते समय आवश्यक दस्तावेजों के साथ अपनी क्लाइंट मास्टर सूची (सीएमएल) की एक प्रति उपलब्ध करानी होगी।

जो शेयरधारक 31 मार्च, 2021 (हस्तांतरण विलेख पुनः जमा करने की कट–ऑफ तिथि) की पूर्व विस्तारित समय सीमा से चूक गए हैं, वे कम्पनी के रजिस्ट्रार एवं शेयर ट्रांसफर एजेंट नामतः आरसीएमसी शेयर रजिस्ट्री प्राइवेट लिमिटेड को investor.services@rcmcdelhi.com पर या उनके कार्यालय पते, बी–25/1, प्रथम तल, ओखला औद्योगिक क्षेत्र फेज 2, नई दिल्ली, भारत, 110020, फोन : 011–35020465,66 पर आवश्यक दस्तावेज प्रस्तुत करके इस अवसर का लाभ उठा सकते हैं।

इस विशेष विंडो के खुलने से संबंधित विवरण कम्पनी की वेबसाइट www.hbportfolio.com पर अपडेट कर दिए गए हैं और यदि कोई और नई जानकारी होगी, तो उसमें अपलोड कर दी जाएगी।

कृते **एचबी पोर्टफोलियो लिमिटेड**
हस्ता./-
मीनू पपरेजा
(कम्पनी सचिव एवं अनुपालन अधिकारी)

तिथि : नवम्बर 22, 2025
स्थान : गुरूग्राम

आवास फाइनेंसियर्स लिमिटेड

Aavas FINANCIERS LTD — SAPNE AAPKE, SAATH HAMAARA
(CIN: L65922RJ2011PLC034297) पंजीकृत एवं निगमित कार्या.: 201-202, द्वितीय मंजिल, साउथ एंड स्क्वायर, मानसरोवर इंडस्ट्रीयल एरिया, जयपुर-302020

कब्जा नोटिस

जबकि अधोहस्ताक्षरकर्ता **आवास फाइनेंसियर्स लिमिटेड** का प्राधिकृत अधिकारी होते हुए ''वित्तीय आस्तियों का प्रतिभूतिकरण एवं पुनर्गठन और प्रतिभूति हित प्रवर्तन अधिनियम 2002'' की धारा 13 (12) और सहपठित प्रतिभूति हित (प्रवर्तन) नियम के नियम 9 के तहत प्रदत्त शक्तियों के अनुप्रयोग में ऋणियों को मांग सूचना पत्र जारी किया गया। नीचे तालिका में उनके सामने दर्शाए अनुसार राशि का मांग पत्र प्राप्ति के 60 दिन के अंदर भुगतान करने की मांग की गयी। यह है कि ऋणी सम्बंधित राशियों का भुगतान करने में विफल रहे अतः ऋणीयों तथा आम जनता को सूचना दी जाती है कि अधोहस्ताक्षरकर्ता ने उक्त एक्ट की धारा 13(4) सहपठित नियम 9 के नियमों के तहत प्रदत्त शक्तियों के अनुप्रयोग में नीचे वर्णित सम्पत्तियों का अधिपत्य तालिका में उनके सामने दर्शाई गई दिनांक को ग्रहण कर लिया है। ऋणियों व जमानतियों को विशिष्टया तथा सर्वसाधारण को सामान्यतया एतद् द्वारा सम्पत्तियों के साथ व्यवहार नहीं करने की चेतावनी दी जाती है। इन सम्पत्तियों के साथ किसी भी प्रकार का व्यवहार निम्न खातों के सामने दर्शाई गई बकाया राशि तथा उन पर ब्याज व खर्चों के लिए आवास फाइनेंस **आवास फाइनेंसियर्स लिमिटेड** के प्रभार के अध्यधीन होगा।

ऋणी का नाम	धारा 13 (2) के अन्तर्गत नोटिस की दिनांक व राशि	बंधक संपत्ति का विवरण	कब्जे की तारीख एवं प्रकार
सुखराम मौर्य, तरूण तरूण, सुनिता एसमौर्य खाता सं. 221202902425726 व 221202902426901	6 अगस्त 2025 ₹ 3028472/- व ₹ 2654549/- 4 अगस्त 2025	पूरी दूसरी व तीसरी मंजिल सम्पत्ति नं. 210 केएच नं. 502/348 लाल डोरा की आबादी, गांव पीतमपुरा दिल्ली (भारत)-110034 **क्षेत्रफल 62.70 वर्ग मीटर**	सांकेतिक कब्जा दिनांक 20 नवम्बर 2025
अंतरिक्ष जाटव, अजय कुमार, सुमन लता जमानतदार : डेल्टा इन्फ्रास्ट्रक्चरकम्पनी खाता सं. LNDEL10222-230273823 व LNDEL02122-230273357	6 जून 2025 ₹ 3638390/- व ₹ 2555967/- 4 जून 2025	प्लॉट नं. 10ए/77, अपर ग्राउण्ड फ्लोर (बिना छत अधिकार के), सेक्टर 10-ए, वसुन्धरा में स्थित, तहसील व जिला-गाजियाबाद, उत्तर प्रदेश-201012 **क्षेत्रफल 130 वर्ग मीटर**	सांकेतिक कब्जा दिनांक 20 नवम्बर 2025

स्थान : दिल्ली   दिनांक : 24-11-2025   प्राधिकृत अधिकारी आवास फाइनेंसियर्स लिमिटेड

आधार हाउसिंग फायनेंस लिमिटेड

Aadhar Housing Finance Ltd
कार्पोरेट कार्यालय: युनिट नं. 802, नटराज रुस्तमजी, वेस्टर्न एक्सप्रेस हाईवे एवं एम.वी. रोड़, अंधेरी (पूर्व), मुम्बई-400069.
गाजियाबाद शाखा: ओपीएस प्लाजा, तीसरी मंजिल, बी-2, आरडीसी, राज नगर, गाजियाबाद - 201002 (उत्तर प्रदेश)

ई–नीलामी – बिक्री सूचना

सुरक्षा हित (प्रवर्तन) नियम, 2002 के नियम 8 (6) के प्रावधान के साथ पठित वित्तीय परिसंपत्ति के प्रतिभूतिकरण और पुनर्निर्माण और सुरक्षा हित प्रवर्तन अधिनियम, 2002 के तहत अचल संपत्तियों की बिक्री के लिए ई-नीलामी बिक्री सूचना। इसके द्वारा सामान्य रुप से सर्वसाधाण को और विशेष रुप से ऋणी(यों) एवं जमानतदार(ओं) को सूचना दी जाती है कि नीचे वर्णित अचल संपत्ति जिसका कब्जा आधार हाउसिंग फाइनेंस लिमिटेड के प्राधिकृत अधिकारी द्वारा लिया गया है, को **'जैसा है जहां है', 'जैसा है जो है', और 'जो कुछ भी है'** बिना किसी ज्ञात बाधा के आधार पर विक्रय किया जाएगा जिनका विवरण नीचे दिया गया है:-

क्रं.	ऋणी(यो)/सह ऋणी(यो)/ जमानतदार	मांग सूचना दिनांक एवं राशि	अचल संपत्ति का विवरण	आरक्षित मूल्य (RP)	बयाना जमा राशि (ईएमडी) (RP का 10%)	कब्जे का प्रकार
1	(लोन कोड नं. 02900001404 / गाजियाबाद शाखा) तंजीम मियां (ऋणी), मो. फैसल खान (जमानतदार)	**08-11-2023 & ₹ 9,63,550/-**	संपत्ति का समस्त शेष एवं सम्पूर्ण भाग, खसरा नं. 576 एमआई, फ्लेट नं. एफएफ 01, प्रथम मंजिल, ग्राम छिपानियां बुर्जुग तहसील दादरी, गौतमबुद्ध नगर, उत्तर प्रदेश 201301 **चर्तुसीमाएँ**:– पूर्व- रास्ता 16 फिट चौड़ा, पश्चिम- अन्य संपत्ति, उत्तर - अन्य संपत्ति, दक्षिण- फ्लेट नं. एफएफ-2/रास्ता 20 फिट चौड़ा	**₹ 10,12,500/-**	**₹ 1,01,250/-**	भौतिक

1. केवाईसी, निविदा प्रपत्र एवं स्वीकृत नियम एवं शर्तों (निविदा दस्तावेज) के साथ बयाना राशि का डीडी जमा करने की अंतिम तिथि **29-12-2025 शाम 5:00 बजे** तक ऊपर उल्लिखित शाखा कार्यालय के पते पर या **https://bankeauctions.com** पर अपलोड की गई है। अंतिम तिथि के बाद प्राप्त निविदा दस्तावेजों को अमान्य निविदा माना जाएगा और तदनुसार अस्वीकार कर दिया जाएगा। ईएमडी पर कोई ब्याज नहीं दिया जाएगा।
2. संपत्ति के लिए बोली/प्रस्ताव (नीलामी तिथि) खोलने की तिथि **30-12-2025 दोपहर 03.00 बजे से सायं 04.00 बजे तक https://bankeauctions.com** पर है।
3. जैसा कि ऊपर बताया गया है, एएचएफएल संपत्ति पर लंबित किसी भी देनदारी के लिए जिम्मेदार नहीं है। संपत्ति की नीलामी **'जैसा है जहां है', 'जैसा है जो है' और 'जो है वह है' के आधार पर** की जाएगी।
4. डिमांड ड्राफ्ट केवल 'आधार हाउसिंग फाइनेंस लिमिटेड' के पक्ष में बनाया जाना चाहिए।
5. नीलामी/बोली केवल वेबसाइट **https://bankeauctions.com** के माध्यम से 'ऑनलाईन इलेक्ट्रॉनिक बोली' के माध्यम से होगी। बोलीदाताओं को सलाह दी जाती है कि वे ई-नीलामी बिक्री कार्यवाही में भाग लेने से पहले विस्तृत शर्तों के लिए वेबसाइट देखें।
6. इच्छुक बोलीदाताओं को **https://bankeauctions.com/registration/ signup,** लिंक के माध्यम से पोर्टल मेसर्स सी 1 इंडिया प्राइवेट लिमिटेड पर अपना नाम पंजीकृत करना चाहिए, और अपनी यूजर आईडी और पासवर्ड निःशुल्क प्राप्त करना चाहिए। संभावित बोलीदाता वेबसाइट **https://bankeauctions.com** के माध्यम से सेवा प्रदाता मेसर्स सी 1 इंडिया प्राइवेट लिमिटेड से ई-नीलामी पर ऑनलाईन प्रशिक्षण का लाभ उठा सकते हैं।
7. अधिक जानकारी के लिए आधार हाउसिंग फाइनेंस लिमिटेड के प्राधिकृत अधिकारी, **शुभम राणा संपर्क नंबर 9719111790** या सेवा प्रदाता मेसर्स सी 1 इंडिया प्राइवेट लिमिटेड, **श्री प्रभाकरन, मोबाईल नं. +91-74182-81709, ई–मेल: tn@c1india.com & support@bankeauctions.com,** फोन नं. **+917291981124 /25 /26** से संपर्क करें। आज तक, एएचएफएल/ एएचएफएल के प्राधिकृत अधिकारी को उपरोक्त अचल संपत्तियों/सुरक्षित परिसंपत्तियों को बेचने, हस्तांतरित करने और/या निपटान करने से रोकने वाला कोई आदेश और/या अदालती निषेधाज्ञा नहीं है।
8. बिक्री के विस्तृत नियमों एवं शर्तों के लिए, कृपया आधार हाउसिंग फाइनेंस लिमिटेड (एएचएफएल), सुरक्षित ऋणदाता की वेबसाइट यानी **www.aadharhousing.com** पर दिए गए लिंक को देखें।
9. नीलामी के लिए बोली वृद्धिशील राशि **रु. 10,000/–** है।
10. यह समाचार पत्र प्रकाशन एवं इसमें निहित डेटा आम जनता के प्रसार के लिए है। इस सामग्री का किसी भी रुप में या किसी भी माध्यम से, चाहे प्रिंट, डिजिटल, किसी भी रुप में इलेक्ट्रानिक प्रकाशन, ईमेल या वेब प्रकाशन, या किसी भी अन्य माध्यम से, संपूर्ण या आंशिक रुप से किसी भी तरह से पुनरुत्पादन, वितरण, प्रसारण या पुनर्प्रकाशन सख्त वर्जित है। किसी भी माध्यम से उपरोक्त सामग्री के किसी भी अनधिकृत उपयोग के परिणामस्वरुप AHFL द्वारा उचित कानूनी कार्रवाई की जा सकती है।

स्थान : उत्तर प्रदेश
दिनांक : 24-11-2025

प्राधिकृत अधिकारी
आधार हाउसिंग फाइनेंस लिमिटेड

हिंदुजा हाउसिंग फाईनेंस लिमिटेड

HINDUJA HOUSING FINANCE
शाखा कार्यालयः एके टॉवर, दूसरी मंजिल, 56 सुभाष रोड, देहरादून 248001
ईमेलः auction@hindujahousingfinance.com
RLM – हसमुद्दीन रजा 8468898202 • CLM – अंशिका राणा 8755058111
RRM – हरीश यादव 7060411785 • CRM – जयदीप भट्ट– 8909629007

कब्जा सूचना

जबकि अधोहस्ताक्षरी ने वित्तीय परिसंपत्तियो के प्रतिभूतिकरण एवं पुनर्निर्माण तथा प्रति भूति हित अधिनियम के प्रवर्तन के अधीन हिंदुजा हाउसिंग फाईनेंस लिमिटेड, का प्राधिकृत अधिकारी होने तथा प्रतिभूति हित (प्रवर्तन) नियमावली 2002 (2002 का नं. 3) के नियम के साथ पठित धारा 13(12) के अधीन प्रदत शक्तियो के अंतर्गत निम्नलिखित कर्जदारों (तदोपरान्त कर्जदार एवं गारंटरों को संयुक्त रूप से "कर्जदार" कहा गया है) को निम्नांकित दिनांको को मांग नोटिस जारी किया था जिसमें उल्लेखित राशि प्रत्येक खाते के आगे वर्णित है उक्त सूचना की तिथि से 60 दिनों के अंदर भुगतान करने को कहा गया था। कर्जदार उक्त राशि का भुगतान करने मे असफल हो गये है, इसलिए एतद्द्वारा कर्जदार और गारंटर तथा आम जनता को सूचित किया जाता है कि अधोहस्ताक्षरी ने इसमे नीचे वर्णित संपत्ति का कब्जा, उक्त अधिनियम की धारा 13(4), उक्त नियमो के नियम 8 के साथ पठित के अधीन उन्हे प्रदत्त शक्तियों के इस्तेमाल के अन्तर्गत सम्पत्ति का कब्जा नीचे प्रत्येक खाते के सामने अंकित के अनुसार लिया है। विशेष रूप से कर्जदार और गारंटर तथा जनसाधारण को एतद्द्वारा उक्त संपत्ति के साथ लेन–देन न करने के लिए सावधान किया जाता है तथा संपत्ति के साथ कोई भी लेन देन हिंदुजा हाउसिंग फाईनेंस लिमिटेड, के प्रभार वास्ते निम्नलिखित राशि और उपरोक्तानुसार राशि पर संविदात्मक दर पर भविष्य का ब्याज, आकस्मिक खर्चे, लागत, प्रभार इत्यादि सहित के अधीन होगा। उधारकर्ता का ध्यान एक्ट की धारा 13 की उप धारा (8), के प्रावधानों के अंतर्गत सुरक्षित परिसंपत्तियों के मुक्त करने हेतु उपलब्ध समय सीमा की ओर आकर्षित किया जाता है।

क्र. सं.	लैन नं. /कर्जदार/गारंटर का नाम	मांग सूचना की तारीख / कब्जा सूचना की तिथि	बकाया राशि
1.	**DL/RUK/ROKE/A000000148,** श्री आरती दीपक सी/ओ दीपक, श्री दीपक कुमार पुत्र रामलाल, सीसाउना, भागवानपुर, हरिद्वार, उत्तराखंड – 247661	12.08.2025 / 20.11.2025 **सांकेतिक**	रु. 13,13,931/- दिनांक 12.08.2025 तक प्लस उस पर ब्याज
	अचल संपत्ति का विवरणः पूर्व में 28 फीट, पश्चिम में 28 फीट, उत्तर में 30 फीट, दक्षिण में 30 फीट कुल क्षेत्रफल 840 वर्ग फीट या 78.067 वर्ग मीटर भूमि के भूखंड पर निर्मित एक मकान, खसरा संख्या –235 के भाग से संबंधित, गांव सिसौना मुस्तहकम (सुभाष नगर कॉलोनी) परगना और तहसील भगवानपुर जिले हरिद्वार सीमाएंः पूर्वः योगेश का प्लॉट, पश्चिमः रास्ता 14 फीट चौड़ा, उत्तरः मुंतयाज का प्लॉट, दक्षिणः रास्ता 14 फीट चौड़ा		
2.	**DL/RUK/ROKE/A000000198,** श्री दीपक पुंडीर पुत्र स्व. श्री पदम सिंह, सुश्री जूली दीपक, इंद्रा गांधी कॉलोनी, पेपर मिल माता मंदिर, सहारनपुर, उत्तर प्रदेश – 247001	12.08.2025 / 20.11.2025 **सांकेतिक**	रु. 19,13,412/- दिनांक 12.08.2025 तक प्लस उस पर ब्याज
	अचल संपत्ति का विवरणः जमीन का एक प्लॉट, पूर्व में 26.40 फीट, पश्चिम में 26.40 फीट, उत्तर में 37.85 फीट, दक्षिण में 37.85 फीट, कुल क्षेत्रफल 1000 वर्ग फीट या 92.93 वर्ग मीटर, खसरा संख्या –166 के भाग से संबंधित, गाँव बावली कलंजरी परगना और तहसील रुड़की जिला हरिद्वार में स्थित है। सीमाएँः पूर्वः अन्य का प्लॉट, पश्चिमः रास्ता 20 फीट चौड़ा, उत्तरः पूनम चौहान का प्लॉट, दक्षिणः मनीषा का प्लॉट		
3.	**DL/RUK/ROKE/A000000336,** श्री अमित तोमर, श्रीमती कुसुम सहदेव, श्री सहदेव सिंह, मकान नं. 777ए, शिवपुरम रहीमपुर, रुड़की, उत्तराखंड, भारत – 247667	12.08.2025 / 20.11.2025 **सांकेतिक**	रु. 15,41,238/- दिनांक 12.08.2025 तक प्लस उस पर ब्याज
	अचल संपत्ति का विवरणः भूमि का एक प्लॉट, निजी प्लॉट संख्या 21, पूर्व में 20.7 फीट, पश्चिम में 20.7 फीट, उत्तर में 39.8 फीट, दक्षिण में 39.8 फीट, कुल क्षेत्रफल 823.86 वर्ग फीट या 76.56 वर्ग मीटर, खसरा संख्या –166 के भाग से संबंधित, गाँव बावली कलंजरी परगना और तहसील रुड़की जिला हरिद्वार में स्थित है। सीमाएँः पूर्वः अन्य का प्लॉट, पश्चिमः रास्ता 20 फीट चौड़ा, उत्तरः विक्रेता का प्लॉट, दक्षिणः अन्य की भूमि		
4.	**DL/RUK/ROKE/A000000368,** श्री सलमान सलमान, श्रीमती फरमानी, शेखपुर, ग्राम बिलासपुर, परगना नागल तहसील देवबंद, सहारनपुर, उत्तर प्रदेश – 247551	12.08.2025 / 20.11.2025 **सांकेतिक**	रु. 11,41,012/- दिनांक 12.08.2025 तक प्लस उस पर ब्याज
	अचल संपत्ति का विवरणः एक आवासीय भूखंड, जिसका कुल क्षेत्रफल 205.018 वर्ग मीटर है, खसरा संख्या 344 से संबंधित, गाँव बिलासपुर शेखपुर, तहसील देवबंद जिले सहारनपुर सीमाएंः पूर्वः जमशेदा की जमीन, पश्चिमः बबीता की जमीन, उत्तरः बबीता की जमीन, दक्षिणः झबरेरा रोड (मार्ग)		
5.	**DL/RUK/ROKE/A000000580,** श्री विशाल कुमार, श्रीमती मीनाक्षी, प्लॉट नंबर–01, फतेहपुर भादो, छुटमलपुर, सहारनपुर, उत्तर प्रदेश – 247662	12.08.2025 / 20.11.2025 **सांकेतिक**	रु. 6,67,300/- दिनांक 12.08.2025 तक प्लस उस पर ब्याज
	अचल संपत्ति का विवरणः जमीन का एक प्लॉट, पूर्व में 28 फीट 2 इंच, पश्चिम में 32 फीट, उत्तर में 21 फीट और दक्षिण में 21 फीट कुल एरिया 70.25 वर्ग गज या 58.73 वर्ग मीटर, खसरा नंबर 280 के हिस्से से संबंधित गाँव फतेहपुर भादो परगना हरौड़ा तहसील बेहट जिला सहारनपुर में स्थित है। सीमाएँः पूर्वः केहर सिंह की संपत्ति, पश्चिमः बिन्नू का प्लॉट, उत्तरः रास्ता 12 फीट चौड़ा, दक्षिणः अन्य व्यक्ति का प्लॉट		
6.	**DL/SHR/SHRP/A000000394,** श्री टेमराज सिंह, श्रीमती चोम्पा देवी, नानोता, सहारनपुर, उत्तर प्रदेश 247452	12.08.2025 / 21.11.2025 **सांकेतिक**	रु. 10,68,409/- दिनांक 12.08.2025 तक प्लस उस पर ब्याज
	अचल संपत्ति का विवरणः एक आवासीय प्लॉट संख्या–20, पश्चिम की ओर, कुल क्षेत्रफल 100 वर्ग गज या 84.01 वर्ग मीटर, जिसका माप पूर्व में–22 फीट 6 इंच, पश्चिम में–22 फीट 6 इंच, उत्तर में–40 फीट, दक्षिण में–40 फीट, चक का संबंधित सं.–412 भाग, खसरा सं.–575 और 576/1 और 576/2 और 577, नानौता पट दोयम बैरून हदूद, परगना–रामपुर, तहसील–रामपुर मनिहारान, जिला सहारनपुर, सीमाएंः पूर्वः रास्ता 20 फीट या 6.10 मीटर चौड़ा, पश्चिमः खेत सोमपाल, उत्तरः प्लॉट रीता, दक्षिणः प्लॉट इरशाद		
7.	**UP/VKN/VKSH/A000000244,** श्री संजू संजू, श्रीमती सोनिया, मेहुवाला खालासा अंबारी, देहरादून, उत्तराखंड – 248125	12.08.2025 / 21.11.2025 **सांकेतिक**	रु. 12,25,576/- दिनांक 12.08.2025 तक प्लस उस पर ब्याज
	अचल संपत्ति का विवरणः भूमि खाता खतौनी सं. 151 और खसरा सं. 309केएच का भाग, कुल क्षेत्रफल 1800 वर्ग फीट या 200 वर्ग गज अर्थात 167.28 वर्ग मी. मौजा कुंजा ग्रांट, तहसील विकासनगर, जिला देहरादून, उत्तराखंड सीमाएंः पूर्वः श्यामो देवी की जमीन, पश्चिमः मंगतू की जमीन, उत्तरः 10 फीट चौड़ी सड़क, दक्षिणः मंगतू की जमीन		
8.	**UT/UTK/DHON/A000001831,** , श्री अजय कुमार, श्रीमती मोहरकली, पुष्पा विहार कॉलोनी, जनता कॉलोनी रोड, महीपुरा चौक, सहारनपुर, उत्तर प्रदेश – 247001	12.08.2025 / 21.11.2025 **सांकेतिक**	रु. 10,99,746/- दिनांक 12.08.2025 तक प्लस उस पर ब्याज
	अचल संपत्ति का विवरणः रिहायशी संपत्ति जिसका कुल क्षेत्रफल 52.26 वर्ग मी., खसरा नंबर 48 और नगर निगम नंबर PV/7 से जुड़ा और गांव चकहरेटी, तहसील और जिला सहारनपुर दार आबादी पुष्पा विहार कॉलोनी में है। सीमाएंः पूर्वः प्लॉट नंबर 71, पश्चिमः कमल पांचाल का प्लॉट, उत्तरः प्लॉट नंबर 56, दक्षिणः 20 फीट चौड़ी सड़क		

दिनांक : 24.11.2025,
स्थान : सहारनपुर (यूपी), हरिद्वार (उत्तराखंड)

प्राधिकृत अधिकारी,
हिंदुजा हाउसिंग फाइनेंस लिमिटेड